



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

File No. 33/Press Clipping/15/2018/RU-III

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली 110003
दिनांक: 01-08-2018

सेवा में,

जिला कलेक्टर,
जिला-सरगुजा,
अम्बिकापुर मुख्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय: 'शौचालय बना पण्डो परिवार का सहारा, पेड़ के नीचे कटती है रात' के संबंध में
संदर्भ: आयोग का पत्र क्र. 33/Press Clipping/15/2018/RU-III दिनांक
20.07.2018।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 06.08.2018 को अपराह्न 12:00 बजे आयोग मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में पुनर्निर्धारित की गई है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में संबंधित दस्तावेजों एवं कार्रवाई रिपोर्ट सहित उपरोक्त तिथि एवं समय पर उपस्थिति होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर.के.दुबे)
सहायक निदेशक

6643
31/8/18
जारी किया
ISSUED

dlc